



10AA 666660

शपथपत्र

प्रनप 26

62 विद्यालय सभा निवाचित क्षेत्र वाजपेर से  
प्रथमी गविन्द लिहे लाल अस्तुत नाम - निर्दिष्ट पक्ष  
के सापेक्ष घुष्ठ सं. 15 का 6 के अनुसार शपथपत्र है

लाल

दस्तावेज़ शपथकर्ता

प्र० २६

(नियम ४क देखिए)

६२ प्रिधान राजा

(निवाचन क्षेत्र का नाम)

निवाचन क्षेत्र सोजपुर से

६२-विधान सभा बाजपुर

उत्तरारण्ड राज्य विधान सभा समाय निवाचन २०१२/ (सदन का नाम) के लिए निवाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने, वाला शपथ पत्र।

मैं ग्राहित करता हूँ

पुत्र/पुत्री/पत्नी.....अमर सिंह

आयु २८ वर्ष ४ माह

जो ग्राम बहुमनगर भौल टिकड़ा कला, फाणपुका/कमी निवासी हूँ और उपरोक्त निवाचन में अभ्यर्थी हूँ

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

१. मैं ऐसे किसी लबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों)का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):

- (I) मागला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं ५४१/२०११ रवं ५४२/२०११ थाना काशीपुर
- (II) पुलिस थाना (थाने) काशीपुर जिला (जिले) उत्तरारण्ड राज्य उत्तरारण्ड
- (III) संघनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है १५७, १५८, १५९, ३०७, ५०४, ५०६, १. P.C., १. P.C.
- (IV) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) को विरचना की कई दिनिन एम्प्लोयर
- (V) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया थे मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, काशीपुर
- (VI) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/है नहीं वर्ष २०११

2. गुड़े किसी अपराध(अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा ८ की उपधारा

(१) या उपधारा (२) में निर्दिष्ट या उपधारा (३) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) लागू नहीं

- (I) गागला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं लागू नहीं | कोई नहीं
- (II) न्यायालय, जिसने दंडित किया है लागू नहीं | कोई नहीं
- (III) पुलिस थाना (थाने) लागू नहीं जिला (जिले) लागू नहीं राज्य लागू नहीं
- (IV) संघनियम अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है लागू नहीं | कोई नहीं
- (V) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे कोई नहीं
- (VI) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता को न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं लागू नहीं

स्थान:- लाजपुर

तारीख:- ११.०१.२०१२

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

गैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका गिरावट नहीं है और कोई तात्पर्य वाले छिपाई नहीं गई है।.....

बाजपुर



सत्यापन

टिप्पणी : इस प्र० २६ के स्तम्भ जो अभिसाक्षी को लागू नहीं है, काट दिए जाए।

Verified And Authenticated

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

पृष्ठ १५ का ६